न्यायमूर्ति एस. सी. मितल और एस. एस. कांग, के समक्ष,

कांशी राम,-याचिकाकर्ता,

बनाम

सिरी राम और अन्य,-प्रतिवादी

1979 की सिविल रिट याचिका संख्या 4152

19 दिसंबर 1979

पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम (1953 का चतुर्थ) - धारा 13-एन, 13.00 और 13-वी - एक सरपंच का चुनाव रद्द कर दिया गया और चुनाव याचिकाकर्ता को विधिवत निर्वाचित घोषित किया गया - धारा 13-एन और 13.00 के तहत समग्र आदेश पारित किया गया - ऐसे आदेश के खिलाफ अपील – कया सक्षम है।

अभिनिर्धारित किया गया कि जब तक पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम 1953 की धारा 13-एन के तहत चुनाव को रद्द नहीं किया जाता है, तब तक अधिनियम की धारा 13-00 द्वारा परिकल्पित परिणामी घोषणात्मक आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि चुनाव याचिकाकर्ता को विधिवत निर्वाचित घोषित करने वाले अधिनियम की धारा 13-00 के तहत पारित आदेश का मूल आधार अधिनियम की धारा 13-एन के तहत आदेश है। जब क़ानून (अधिनियम की धारा 13-वी) ने अधिनियम की धारा 13-एन के तहत पारित आदेश को स्पष्ट रूप से अपील योग्य बना दिया है, तो वैधानिक अधिकार को केवल इसलिए छीनने का कोई कारण नहीं है क्योंकि धारा 13-वी अपनी शर्तों में इसका उल्लेख नहीं करती है। अधिनियम की धारा 13-00 के तहत पारित आदेश का। इस धारा के तहत पारित आदेश का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, यहां तक कि धारा 13-एन के तहत चुनाव को रद्द करने वाला आदेश पारित करना इसके पहले होना चाहिए। मामले को देखने का दूसरा तरीका यह है कि यदि निर्वाचित सरपंच द्वारा धारा 13-एन के तहत उसके चुनाव को रद्द करने के आदेश के खिलाफ अधिनियम की धारा 13-वी के तहत दायर की गई अपील की अनुमति दी जाती है, तो धारा 13-00 के तहत पारित परिणामी आदेश घोषित किया जाता है। विधिवत निर्वाचित चुनाव याचिकाकर्ता स्वतः ही जमीन पर गिर जाता है। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि अपील का अधिकार एक मूल अधिकार है न कि कोई प्रक्रियात्मक मामला और न्यायालयों को ऐसे प्रावधानों को उदारतापूर्वक समझना चाहिए न कि संकीर्णता से। जब तक इसके विपरीत कोई स्पष्ट प्रावधान न हो, अपील का अधिकार आसानी से प्रतिबंधित नहीं किया जा

सकता है। इसलिए, धारा 13-एन और 13-00 के तहत पारित एक समग्र आदेश अधिनियम की धारा 13-वी के तहत अपील योग्य है। (पैरा 4 और 5).

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत सिविल रिट याचिका में प्रार्थना की गई है कि माननीय न्यायालय इस पर कृपा करें: -

(i) सर्टिओरारी रिट की प्रकृति में एक रिट जारी करें जिसमें आदेश, अनुलग्नक 'पी/1' और 'पी/2' से संबंधित रिकॉर्ड मांगे जाएं और उसका अवलोकन करने के बाद, लागू आदेश, अनुलग्नक 'पी/2' को रद्द कर दिया जाए और मामले को जिला न्यायाधीश, भिवानी को भेज दिया और उन्हें याचिकाकर्ता की अपील को गुण-दोष के आधार पर सुनने का निर्देश दिया। वैकल्पिक रूप से विवादित आदेश को रद्द करते समय, अनुलग्नक 'पी/2' विवादित आदेश को रद्द कर देता है, अनुलग्नक 'पी/1' जिसके द्वारा याचिकाकर्ता के सरपंच के रूप में चुनाव को रद्द कर दिया गया है और प्रतिवादी नंबर 1 को याचिकाकर्ता के स्थान पर सरपंच के रूप में चुने जाने की घोषणा को रद्द कर दिया गया है।

(ii) विवादित आदेशों, अनुलग्नकों 'पी/1' और 'पी/2' के संचालन पर रोक लगाते हुए एक अंतरिम आदेश जारी करें और इस माननीय न्यायालय द्वारा इस रिट याचिका के निपटान तक याचिकाकर्ता से चार्ज लेने के लिए प्रतिवादी नंबर 1 को रोकें।

(iii) कोई अन्य उचित रिट, निर्देश या आदेश जो माननीय न्यायालय इस मामले की परिस्थितियों में उचित समझे, कृपया जारी किया जा सकता है।

(iv) भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 (4) के अनुसार उत्तरदाताओं को प्रस्ताव के नोटिस की पूर्व सेवा से छूट दें क्योंकि यदि ऐसा किया जाता है, तो रिट याचिका दायर करने का मूल उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। आदेशों को क्रियान्वित किया जाएगा और याचिकाकर्ता से सरपंच पद का कार्यभार ले लिया जाएगा।

(v) रिट याचिका के अनुलग्नक के रूप में संलग्न दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां दाखिल करने से छूट।

(vi) याचिकाकर्ता को इस याचिका की लागत प्रदान करना।

याचिकाकर्ता के लिए श्री डी.एस. बाली, अधिवक्ता, श्री चंद्र सिंह, अधिवक्ता।

प्रतिवादी नंबर 1 के लिए वकील एस. पी. जैन।

निर्णय

न्यायमूर्ति एस. सी. मितल,

(1) इस रिट याचिका के मुख्य तथ्य यह हैं कि सिरी राम द्वारा ग्राम बढ़ा-वाना की ग्राम पंचायत के सरपंच के पद पर कांशी राम के चुनाव को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका को निर्धारित प्राधिकारी द्वारा और धारा के तहत अनुमति दी गई थी। पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम के 13-00 के तहत सिरी राम को विधिवत निर्वाचित सरपंच घोषित किया गया। अधिनियम की धारा 13-वी के तहत शुरू की गई कांशी राम की अपील को जिला न्यायाधीश, भिवानी ने इस आधार पर खारिज कर दिया है कि विवादित आदेश अपील योग्य नहीं था। व्यथित होकर कांशीराम ने यह रिट याचिका दायर की है।

(2) अब अधिनियम की धारा 13-एन (1) का प्रासंगिक भाग बताता है: -

"जहां एक चुनाव याचिका धारा 13-ई के तहत खारिज नहीं की गई है, निर्धारित प्राधिकारी चुनाव याचिका की जांच करेगा और जांच के निष्कर्ष पर एक आदेश देगा:-

(ए) चुनाव याचिका खारिज करना; या

(बी) चुनाव को रद्द करना.............................

....................."

(3) फिर अधिनियम की धारा 13-00 में प्रावधान है कि एक याचिकाकर्ता इस घोषणा का दावा करने के अलावा कि लौटे उम्मीदवारों में से किसी का चुनाव शून्य है, एक घोषणा का दावा कर सकता है कि वह स्वयं विधिवत निर्वाचित हुआ है। अधिनियम की धारा 13-00 की उप-धारा (2) में आगे प्रावधान है कि निर्धारित प्राधिकारी निर्वाचित उम्मीदवार के चुनाव को शून्य घोषित करने के बाद, याचिकाकर्ता को विधिवत निर्वाचित घोषित करेगा। विचारणीय अधिनियम का अगला प्रावधान धारा 13-वी का है जिसमें लिखा है: -

"(1) धारा 13-एन के तहत निर्धारित प्राधिकारी द्वारा दिए गए आदेश से व्यथित कोई भी पक्ष ऐसे आदेश की तारीख से तीस दिनों के भीतर जिला न्यायाधीश की अदालत में अपील कर सकता है।

* * * * "

* * * *"

(4) जिला न्यायाधीश, भिवानी ने इस आधार पर आक्षेपित आदेश पारित किया है कि धारा 13-वी अधिनियम की धारा 13-एन के तहत केवल आदेश से अपील प्रदान करती है। जिला न्यायाधीश के अनुसार आक्षेपित आदेश समग्र है, यानी धारा 13-एन और 13-00 के तहत पारित किया गया है, इसलिए

यह अपील योग्य नहीं है। जिला न्यायाधीश का दृष्टिकोण अस्थिर प्रतीत होता है। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि जब तक किसी चुनाव को धारा 13-एन के तहत रद्द नहीं किया जाता है, तब तक अधिनियम की धारा 13-00 द्वारा परिकल्पित परिणामी घोषणात्मक आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 13-00 के तहत पारित आदेश का मूल आधार अधिनियम की धारा 13-एन के तहत आदेश है। जब क़ानून (धारा 13-वी अधिनियम) ने स्पष्ट रूप से अधिनियम की धारा 13-एन के तहत पारित एक आदेश को अपील योग्य बना दिया है, कोई यह देखने में विफल रहता है कि कैसे वैधानिक अधिकार को केवल इसलिए छीन लिया जा सकता है क्योंकि धारा 13-वी अपनी शर्तों में धारा 13-00 के तहत पारित आदेश का उल्लेख नहीं करती है। अधिनियम के इस धारा में पारित आदेश का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, क्योंकि धारा 13-एन के तहत किसी चुनाव को रद्द करने का आदेश उसके पहले पारित होना चाहिए। मामले को देखने का दूसरा तरीका यह है कि यदि कांशी राम द्वारा अधिनियम की धारा 13-वी के तहत धारा 13-एन के तहत आदेश के खिलाफ दायर की गई अपील की अनुमति दी जाती है, तो धारा 13-00 के तहत पारित परिणामी आदेश में सिरी राम को विधिवत रूप से सरपंच निर्वाचित घोषित करना स्वचालित रूप से असफल हो जाता है। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि अपील का अधिकार एक वास्तविक अधिकार है न कि कोई प्रक्रियात्मक मामला। न्यायालयों को ऐसे प्रावधानों को संकीर्णता से नहीं, बल्कि उदारतापूर्वक समझना चाहिए। जब तक इसके विपरीत कोई स्पष्ट प्रावधान न हो, अपील का अधिकार आसानी से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है।

(5) उपरोक्त कारणों से इस विचार में कोई बल नहीं दिखता है कि चूंकि आक्षेपित आदेश अधिनियम की धारा 13-एन और 13-00 के तहत पारित एक समग्र आदेश है, इसलिए, धारा 13-वी के खिलाफ अपील का अधिकार दिया गया है। धारा 13-एन के तहत पारित आदेश वापस ले लिया जाता है। इस प्रकार जिला न्यायाधीश के आक्षेपित आदेश को बरकरार नहीं रखा जा सकता है, और इसे रद्द किया जाता है। जिला न्यायाधीश अपील पर विचार करेगा और कानून के अनुसार निर्णय करेगा। तदनुसार रिट याचिका का निपटारा किया जाता है। पार्टियों को 2 जनवरी, 1980 को उनके समक्ष उपस्थित होना होगा।

एन.के.एस.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

हार्दिक सचदेवा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

पोस्टिंग का स्थान: भिवानी